मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

एम.ए.सी.पी. संख्या ४८५/२०१८,
१. श्रीमती उर्मिला देवी उम्र करीब २३ वर्ष पत्नी स्व. श्री अखिलेश कुशवाहा
२. कु. प्रार्थना नाबालिग उम्र करीब ३ वर्ष पुत्री स्व. श्री अखिलेश कुशवाहा
३. अहम कुशवाहा नाबलिग उम्र करीब ६ माह पुत्र स्व. श्री अखिलेश कुशवाहा
जरिये संरक्षिका माँ श्रीमती उर्मिला देवी
४. हरकिशन कुशवाहा उम्र करीब ४७ वर्ष पुत्र चतरे कुशवाहा
५. श्रीमती शान्ति देवी उम्र करीब ४५ वर्ष पत्नी श्री हरकिशन कुशवाहा
समस्त निवासीगण ग्राम भीतरी खिरक थाना सेदरी जिला निवाड़ी, म.प्र.

----याचीगण

प्रति

१. सिन्नाम सिंह पुत्र छोटे लाल निवासी ३ फतेहपुर पोस्ट अमरौंदा चौरा जिला कानपुर देहात ,उ.प्र.

........मालिक ट्रक नं. यू.पी. ७७ ए एन ४५६२

२. शेलेन्द्र सिंह पुत्र ओमकार सिंह निवासी कालपी चौराहा हमीरपुर जिला हमीरपुर

........चालक ट्रक नं. यू.पी. ७७ ए एन ४५६२

३.एच.डी.एफ.सी. इरगो जनरल इंश्यारेंस कम्पनी लि. फस्ट फ्लोर ब्लाक नं.२ भूमि सरस्वती गन्जावाला लेन बारीवली वेस्ट मुम्बई- ४०००९२

........बीमा कम्पनी ट्रक नं. यू.पी. ७७ ए एन ४५६२

----विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री इन्द्र पाल सिंह
विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के अधिवक्ता- श्री सुनील शुक्ला
०९.०३.२०२१

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली आज ३५ बी सुलहनामा पर आदेश हेतु नियत है। प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध कथित मोटर वाहन दुर्घटना में मृतक अखिलेश कुशवाहा की मृत्यु के कारण **₹४५,००,०००** प्रतिकर धनराशि मय ब्याज दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को ३५बी सुलहनामा पर पूर्व नियत तिथि पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। याची व विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी के मध्य हुआ सुलहनामा ३५बी उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया है, जिसकी पुष्टि उभय पक्ष द्वारा की गई है। ३५बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में **₹८,२५,०००** याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। याचीगण सुलहनामा ३५बी में दर्शित कुल **₹८,२५,०००** प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार है। अतः याचिका सुलहनामा ३५बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा ३५बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा ३५बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं.३ एच.डी.एफ.सी. इरगो जनरल इंश्यारेंस कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को इस निर्णय/आदेश के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि **₹८,२५,००० (आठ लाख पचीस हजार)** भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी के खाता सं.३६७१०००१०११९२४८९ आई.एफ.एस.सी. कोड सं. PUNB ०३६७१०० में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा यू.टी.आर. नम्बर/रिफरेंस नंम्बर/ट्रांजैक्शन नम्बर की सूचना इस न्यायाधिकरण के कार्यालय भेजी जावेगी।

याचीगण सं.१ लगायत ५ क्रमशः मृतक की पत्नी, पुत्री व पुत्र, पिता एवं माँ हैं। अतः याचीगण सं.१ लगायत ५ उक्त प्रतिकर की धनराशि में से क्रमशः ३५, २५, २५, ०५ व १० प्रतिशत भाग प्राप्त करेंगे। याची सं. २ व ३ की समस्त धनराशि की एन्युटी १०-१० वर्ष के लिये तथा याची सं.१ की ७५% धनराशि की ५ वर्ष के लिए एन्युटी तथा याची सं.४ व ५ की ७५% धनराशि की तीन-तीन वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जाय तथा अवशेष राशि याचीगण अपने बैंक खाते में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से नगद प्राप्त करेंगे।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.03.09 17:37:21 IST
Reason: Pressiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribinal
Jhansi